न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)
पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 99/2013
रफीक पुत्र दीना जाति मुसलमान व्यापारी निवासी ग्राम डूण्डलोद तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
—आवेदक

बनाम

1. लियाकत
2. फारूक
3. शोकत पुत्रान दीना जाति मुसलमान व्यापारी निवासी ग्राम डूण्डलोद तहसील नवलगढ
4. उप पंजियक उप पंजियन कार्यालय नवलगढ जिला झुन्झुनू

—अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अं.धारा 212 रा.का.अधि. व आदेश 39 नियम 1 व 3 व 151सीपीसी

ऐडवोकेट आवेदक :— श्री प्रदीपकुमार झाझडिया
ऐडवोकेट रेस्पोडेन्ट :— विप्पलव पंडित

आदेश

दिनांक 07.10.2019

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि एक वाद उनवानी रफीक बनाम लियाकत वगै0 का माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है जो प्रथम दृष्टया बहुत ही मजबूत आधारों पर आधारित है। ग्राम डूण्डलोद की सरहद में ख.न. 70 रकबा 1.05 है0 अवस्थित है उक्त आराजी आवेदक व अनावेदक नं. 1 लगायत 3 व प्रतिवादी नं. 4 व 5 की शामलाती कब्जे काश्त की भूमि है उक्त आराजी का आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। आवेदक व अनावेदक नं. 1 लगायत 3 व प्रतिवादी नं. 4 व 5 दीना के पुत्र हैं जो आपस में सगे भाई है जिनका वादग्रस्त आराजी में बराबर बराबर 1/6, 1/6 हिस्सा है, आवेदक व अनावेदक नं.1 लगायत 3 व प्रतिवादी नं. 4 व 5 के मध्य वादग्रस्त आराजी का भी विधिवत विभाजन नही हुआ है आवेदक व अनावेदक नं. 1 लगायत 3 व प्रतिवादी नं. 4 व 5 वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड मे भी शामलाती रूप से दर्ज है। उक्त आराजी को आवेदक व अनावेदक नं. 1 लगायत 3 व प्रतिवादी नं. 4 व 5 शामलाती रूप से काश्त करते हैं उक्त आराजी आवेदक व अनावेदक नं. 1 लगायत 3 व प्रतिवादी नं. 4 व 5 की अविभाजित सम्पदा है जिसके प्रत्येक ईंच पर प्रत्येक सहखातेदार का बराबर बराबर हक व हिस्सा कानूनन है। किसी को भी बिना विधिवत विभाजन के वादग्रस्त आराजी के किसी भी हिस्से को विक्रय करने का अधिकार नही है परन्तु अनावेदक नं. 1 लगायत 3 ने मिलकर वादग्रस्त आराजी को बिना विधिवत विभाजन के विक्रय करना चाहता है जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नही है। अनावेदक नं.1 लगायत 3 ने दिनांक 30.05.13 को वादग्रस्त आराजी को बिना विधिवत विभाजन करवाये ही विक्रय करने की धमकी दी है। यदि अनावेदक न. 1 लगायत 3 बिना विभाजन

Scanned by CamScanner

के वादग्रस्त आराजी को विकय कर देंगे तो आवेदक को अनेक परेशानियों में फंसना पडेगा अतः अनावेदक नं. 1 लगायत 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि बिना विभाजन के वादग्रस्त आराजी के किसी भी भाग का हस्तान्तरित नही करे। अनावेदक नं. 4 को पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजी के हस्तानान्तरण संबंधी दस्तावेजात को तस्दीक नही करे। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अनावेदक नं. 1 लगायत 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि तादौराने मूल वाद ग्राम डूण्डलोद की सरहद में स्थित वादग्रस्त आराजी नये ख.न. 70 रकबा 1.05 है0 के किसी भी भाग को बिना विधिवत विभाजन के हस्तान्तरित नही करे तथा आवेदक के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की कोई दखलन्दाजी नही करे तथा अनावेदक नं. 4 को पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजी के हस्तानान्तरण संबंधी दस्तावेजात को तस्दीक नही करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनावेदकगण की गई। अनावेदक नं. 3 व 4 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अनावेदक न. 1 व 2 की ओर से जबाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि अनावेदक नं. 1 लगायत 3 का उक्त आराजी से कोई संबंध नही रहा है। अनावेदक नं. 1 लगायत 3 ने अपना अपना प्रत्येक 1/6, 1/6 हिस्सा अर्थात कुल भूमि में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नं. 8 को दिनांक 31.05.2013 को जरिये रजि0 विकय पत्र कर दिया इसलिये अनावेदक नं. 1 लगायत 3 उक्त आराजी के ना तो खातेदार है ना ही काश्तकार है प्रार्थना पत्र आवेदक खारीज होने योग्य है। अनावेदक नं. 1 लगायत 3 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी नं. 8 को विकय कर दिया है। आवेदक का उक्त कथन गलत है कि आवोदक व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 5 के मध्य वादग्रस्त आराजी का कभी भी विधिवत विभाजन नही हुआ है गलत होने से अस्वीकार है बल्कि विवादित आराजी का आवेदक व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 5 ने आपसी व्यवस्था के अनुसार मौखिक बांट रखा था अलग सीमा बना रखी थी, अलग अलग काश्त करते थे, इसलिये शामलाती काश्त करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है।

प्रतिवादी नं. 8 ने अनावेदक नं. 1 लगायत 3 से उसके 1/2 हिस्से को जरिये रजि0 विकय पत्र कय किया है। प्रतिवादी नं. 8 बोनाफाईड क्रेता है काबिज काश्तकार है तथा अनावेदक नं. 1 लगायत 3 अपना हिस्सा विकय कर चुके हैं इसलिये आवेदक की अनावेदक नं. 1 लगायत 3 के विरूद्ध कोई ग्रिवीयेन्स नही रही है इसलिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। आवेदक को अनावेदक नं. 1 लगायत 3 व प्रतिवादी नं. 8 के विरूद्ध कोई वाद हेतुक नही है ना ही प्रतिवादी नं. 8 के विरूद्ध वादकारण पैदा हुआ है इसलिये वाद व प्रार्थना पत्र आवेदक खारीज होने योग्य है।

जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वकील पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र व जबाब प्रार्थना पत्र तथ्यो को दोहराया गया तथा वकील अप्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत में

Scanned by CamScanner

आरडी Feb 2004 पेज नं. 65, RRD March 2004 पेज नं. 119 तथा 1987 पेज नं. 316 आदि नजिरें पेश की गई।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 रा.का.अधि. के निस्तारण के लिये न्यायालय को तीन बिन्दुओं जिनमे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति देखनी होती हैं।

1. प्रथम दृष्टया मामलाः— मुताबिक जमाबंदी ग्राम डूण्डलोद संवत 2068—71 के अनुसार भूमि ख.न. 70 रकबा 1.05 है0 की खातेदारी असगर लियाकत शोकत फारूख असलम पुत्र दीना जाति मुसलमान सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। बहस के दौरान प्रस्तुत वकील अनावेदक द्वारा रजि0 विक्रय पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई जिसमें अनावेदकगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि शबीर पुत्र मो0 सफी जाति कुरैशी मुसलमान निवासी वार्ड नं. 4 नवलगढ को विक्रय किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा अपना हिस्सा विक्रय कर देने से प्रथम दृष्टया मामला आवेदक के पक्ष में नहीं है।
2. सुविधा का संतुलनः— चूंकी अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा अपना हिस्सा विक्रय कर देने से उन्हे पाबन्द करने का कोई औचित्य नही है। अतः सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में नही है।
3. अपूर्णीय क्षतिः— अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा अपना हिस्सा पूर्व में ही विक्रय कर देने से अब प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति नही हो सकती अतः अपूर्णीय क्षति का मामला भी आवेदक का नही बनता है।

वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों अनुसार भी सह खातेदार व क्रेता के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। इस प्रकार उक्त तीनों बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का अस्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 03.06.2013 को निरस्त की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक 07.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7-10-2019

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

Scanned by CamScanner